सीताराम बनाम हड़मानराम वगै.
मुकदमा नम्बर 20/2022
जीसीएमएक नम्बर 2022/345

— : : आदेश : : —

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 87 के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम–फरड़ोद तहसील–जायल के खसरा नं. 2751/86 व खसरा नम्बर 2749/85 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2022 के अनुसार लाल स्याही पेन से डोटेट अनुसार स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2022 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी।

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम फरड़ोद तहसील–जायल के खसरा नं. 2751/86 व खसरा नम्बर 2749/85 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी सिताराम से वर्तमान नवीनतम डी.एल. सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक हड़मानराम व राजू देवी को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे।

माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.8.23 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner